संख्या-228/2025/338के-2/22-3-2024-17(260)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 01 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजू पुत्र रघुवीर, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-27404/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-03.09.2024) दिनांक-06.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजू पुत्र रघुवीर, ग्राम-हिसामपुर, मजरा-जकरिया, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। प्रथम घटना- ट्रैक्टर जुताई का सात हजार रूपया उधार मांगने पर बंदी ने दिनांक 14-11-2002 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से वारकर व असलहे से फायर करके टिन्कू उर्फ ज्ञानेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। प्रथम घटना में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 78/2003, 222/2023 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 व 25(1-बी)ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। द्वितीय घटना-पूर्व में हुई घटना की रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 27-11-2009 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर रामनरेश दीक्षित नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय घटना में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-518/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, सीतापुर के आदेश दिनांक 30.10.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.08.2024 तक बन्दी की आयु 49 वर्ष 11 माह है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्रावधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया।) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी संजु पुत्र रघुवीर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में प्रथम केस में ट्रैक्टर जुताई का सात हजार रूपया उधार मांगने पर बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2002 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व असलहे से फायर करके टिन्कू उर्फ ज्ञानेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा द्वितीय केस में पूर्व में हुई घटना की रंजिश के कारण दिनांक 27.11.2009 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर रामनरेश दीक्षित नामक व्यक्ति की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजू (बन्दी संख्या-47570) पुत्र रघुवीर, निवासी-जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-228/2025/338के-2(1)/22-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-228/2025/338के-2/22-3-2024-17(260)/2024

दिनांक 01 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजू पुत्र रघुवीर, ग्राम-हिसामपुर, मजरा-जकरिया, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। प्रथम घटना- ट्रैक्टर जुताई का सात हजार रूपया उधार मांगने पर बंदी ने दिनांक 14-11-2002 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से वारकर व असलहे से फायर करके टिन्कू उर्फ ज्ञानेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। प्रथम घटना में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 78/2003, 222/2023 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 व 25(1-बी)ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। द्वितीय घटना-पूर्व में हुई घटना की रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 27-11-2009 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर रामनरेश दीक्षित नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय घटना में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 518/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, सीतापुर के आदेश दिनांक 30.10.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.08.2024 तक बन्दी की आयु 49 वर्ष 11 माह है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्रावधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी संजु पुत्र रघुवीर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में प्रथम केस में ट्रैक्टर जुताई का सात हजार रूपया उधार मांगने पर बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2002 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व असलहे से फायर करके टिन्कू उर्फ ज्ञानेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा द्वितीय केस में पूर्व में हुई घटना की रंजिश के कारण दिनांक 27.11.2009 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर रामनरेश दीक्षित नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in